न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 7015–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–2015 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प रायसेन प्रकरण कमांक 25/बी–103/2013–14/48(ख)

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
रजिस्टर्ड आफिस 27 बी.के.सी.
27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुरला काम्पलेक्स,
बान्द्रा (इ) मुम्बई–400051 .....आवेदक

विरूद्ध

कलेक्टर आफ स्टाम्प, रायसेन .....अनावेदक

श्री अंकुर मोदी एवं श्री वरूण कौशिक, अभिभाषकगण, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/12/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री संजय व्यास एवं श्री पी.एस. कालानी, इन्दौर द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक, म.प्र. भोपाल को इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि रायसेन जिले में स्थित कम्पनी के संबंध में एसाईनमेंट डीड गुजरात में रजिस्टर्ड कराई गई है । इस प्रकार एसाईनमेंट डीड पर कम मुद्रांक शुल्क अदा किया गया है, अतः नियमानुसार कार्यवाही की जाये । उक्त शिकायत के आधार पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक, म.प्र. द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प को कार्यवाही कर 7 दिवस में अवगत कराने संबंधी पत्र लिखा गया । उक्त पत्र के आधार पर कलेक्टर

आफ स्टाम्प रायसेन द्वारा प्रकरण कमांक 25/बी–103/2013–14/48(ख) दर्ज कर दिनांक 4–6–2015 को आदेश पारित समुनदेशित राशि 9.26 करोड़ पर मुद्रांक शुल्क रूपये 19,44,600/– एवं पंजीयन शुल्क रूपये 7,40,800/– निर्धारित किया गया । साथ ही अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत 1,00,000/– शास्ति अधिरोपित की गई । इस प्रकार कुल रूपये 27,85,400/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 48 (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई । अधिनियम की धारा 48 (ख) के अन्तर्गत 5 वर्ष की अवधि में कार्यवाही किए जाने संबंधी प्रावधान हैं, परन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा 5 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 48 (ख) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प को मूल लिखत की मॉग करना चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा मूल लिखत की मॉग नहीं की गई है, और न ही उनके समक्ष कोई लिखत ही प्रस्तुत हुई है, ऐसी स्थिति में भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश पूर्णतः विधि विपरीत है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प को शिकायत के आधार पर कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 25–10 –14 को सूचना पत्र जारी किया गया है, जबकि प्रकरण इसके पूर्व ही दिनांक 1–7–14 को दर्ज किया जा चुका है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक को दिये गये सूचना पत्र में किसी धारा का उल्लेख नहीं किया गया कि उनके विरूद्ध किस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । अधिनियम की धारा 6 (क) के अंतर्गत जहां सम्पत्ति कय करने में विभिन्न दस्तावेजों का उपयोग किया गया हो, और उन पर भिन्न–भिन्न मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया गया हो, तब अधिकतम शुल्क प्रभार्य होगा । वर्तमान प्रकरण में द्वितीय दस्तावेज निष्पादित नहीं हुआ है, इसलिए उक्त धारा इस प्रकरण में लागू नहीं होती है । अधिनियम की धारा 19 (क) के अंतर्गत म0प्र0 के बाहर देय मुद्रांक शुल्क कम करके म0प्र0 में निर्धारित मुद्रांक शुल्क देय है, परन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अहमदाबाद में चुकाई गई मुद्रांक शुल्क को कम नहीं करने में अन्यायपूर्ण

कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 48 (ख) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित करने का भी कोई प्रावधान नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प को रूपये 1.11/– करोड मूल ऋण पर ही मुद्रांक शुल्क निर्धारित करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ब्याज की राशि सहित सम्पूर्ण राशि 9.26 करोड़ पर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा म0प्र0 में स्थित सम्पत्ति का पंजीयन गुजरात में कराया गया है, अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कार्यवाही करने में किसी प्रकार की कोई अवैधाकिता अथवा अनियमिताा नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि जानकारी के दिनांक से समय–सीमा लागू होगी, और जानकारी के दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कार्यवाही की गई है । अंत में कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसे स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन एसाईनमेंट डीड दिनांक 18–10–2006 को पंजीकृत हुआ है और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 1–7–2014 को लगभग साढ़े सात वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् अधिनियम की धारा 48(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, जबकि अधिनियम की धारा 48(ख) में इस प्रकार की कार्यवाही के लिये पांच साल की समय सीमा निर्धारित है । स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश अत्यधिक अवधि बाहय होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा जानकारी के दिनांक से समय सीमा में कार्यवाही की गई है क्योंकि अधिनियम की धारा 48(ख) में स्पष्टतः उल्लेख है कि लिखत के निष्पादन की तारीख से 5 साल की कालावधि के पश्चात् कार्यवाही नहीं की जायेगी, जानकारी के दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प

द्वारा आवेदक से मूल लिखत की मॉग नहीं की गई है, जबकि अधिनियम की धारा 48(ख) के अन्तर्गत आवेदक से मूल लिखत की मॉग की जाना आज्ञापक प्रावधान है और बिना मूल लिखत की मॉग किये प्रश्नाधीन लिखत को सम्यक् रूप से स्टापित नहीं मानने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत इस तर्क को, कि उनके द्वारा 5 वर्ष की कालावधि के पश्चात् अवधि बाह्य कार्यवाही की जा रही है, इस आधार पर अमान्य किया गया है कि अधिनियम की धारा 19(क) एवं 6(क) के अन्तर्गत 5 वर्ष के अन्दर प्रकरण दर्ज करने की अवधि लागू नहीं होती है । अधिनियम की धारा 6(क) प्रकरण में उस स्थिति में लागू होती है, जबकि एक से अधिक लिखत निष्पादित हुई हो एवं अधिनियम की धारा 19(क) के अन्तर्गत अन्य राज्यों में अदा किये गये मुद्रांक शुल्क को कम करके मुद्रांक शुल्क निर्धारित किये जाने का प्रावधान है । इस प्रकरण में न तो एक से अधिक लिखतें निष्पादित हुई हैं और न ही कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अहमदाबाद में अदा किये गये मुद्रांक शुल्क को कम किया गया है । स्पष्ट है कि उक्त धाराएं भी इस प्रकरण में लागू नहीं होती है और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उक्त धाराओं का उल्लेख करते हुये पारित आदेश पूर्णतः अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है । एसाईनमेंट डीड को पढ़ने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा 1.11 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है और 8.15 करोड़ रुपये ब्याज की राशि है । इस संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विचार नहीं किया गया है कि वास्तव में मुद्रांक शुल्क 1.11 करोड़ की राशि पर देय है या उसमें ब्याज की राशि भी सम्मिलित होगी । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश पूर्णत अवैधानिक आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.